<u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> <u>जिला बैतूल</u>

<u>दांडिक प्रकरण कः — 616 / 16</u> संस्थापन दिनांकः—04 / 10 / 16

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला—बैतूल (म.प्र.)

...... <u>अभियोजन</u>

वि रू द्ध

योगेन्द्र पिता शिवचरण पवार उम्र 26 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 6 आमला, थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्त

<u>-: (निर्णय):-</u>

(आज दिनांक 04.10.2016 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 324 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि दिनांक 06.09.2016 को शाम 05:10 बजे, थाना आमला से 01 किमी पूर्व में स्थित यादोराव साबले के मकान के सामने वार्ड नं. 06 कुंबी मोहल्ला आमला में फरियादी राकेश को धारदार नाखून से नोचकर स्वेच्छया उपहति कारित की।
- 2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 06.06.2016 को शाम करीब फरियादी गणेश जी देखकर अपने घर आ रहा था तभी अभियुक्त ने उसका रास्ता रोका और उसे पुराने पैसों के लेनदेन पर से मां बहन की मादरचोद बहनचोद की गंदी गाली गुप्तार कर उससे पैसे मांगने लगे और हाथ थप्पड़ से मारा जिससे उसकी गर्दन, बांयी आंख के उपर, छाती पर अंदरूनी चोटें आयी। अभियुक्त ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क. 467/16 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
- 3 प्रकरण में फरियादी का अभियुक्त से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्त को धारा 341, 294, 323, 506 भाग—दो भा.द.सं के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्त के विरूद्ध लगे धारा 324 भा0दं0सं0 का आरोप अशमनीय होने से अभियुक्त का विचारण किया गया।

4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। अभियुक्त कथन योग्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं होने से धारा—313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त कथन अंकित नहीं किये गये।

न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

5

''क्या अभियुक्त ने दिनांक 06.09.2016 को शाम 05:10 बजे, थाना आमला से 01 किमी पूर्व में स्थित यादोराव साबले के मकान के सामने वार्ड नं. 06 कुंबी मोहल्ला आमला में फरियादी राकेश को धारदार नाखून से नोचकर स्वेच्छया उपहति कारित की?''

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

- 6 राकेश (अ.सा.—1) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घ ाटना कुंबी मोहल्ला आमला में यादोराव के मकान के सामने की है। घटना के समय वह गणेश जी देखकर वापस अपने घर जा रहा था तभी रास्ते में अभियुक्त ने पुराने विवाद को लेकर उसे गंदी गंदी गालियां देकर हाथ मुक्कों से मारपीट किया था और जान से मारने की धमकी दिया था। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने घटना की रिपोर्ट (प्रदर्श प्री—1) थाना आमला में की थी जिस पर पुलिस ने मौके पर आकर मौका नक्शा (प्रदर्श प्री—2) तैयार किया था।
- 7 राकेश (अ.सा.—1) ने अपने न्यायालयीन कथनों में अभियुक्त द्वारा उसके साथ गाली गलौच कर हाथ मुक्के से मारपीट किया जाना बताया है परंतु साक्षी से अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियुक्त द्वारा उसकी छाती पर नुकिले नाखून से नोचकर चोट पहुचाये जाने की बात को गलत बताया है।
- 8 अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा फरियादी राकेश (अ. सा.—1) के साथ गाली गलौच कर हाथ मुक्के से मारपीट की जाना प्रमाणित होता है जिसके संबंध में अभियुक्त को राजीनामा आवेदन स्वीकार कर अभियुक्त को दोषमुक्त किया जा चुका है। अभियुक्त द्वारा नाखून से नोचकर आहत/फरियादी को चोट पहुंचाई गयी हो ऐसा उपलब्ध साक्ष्य से प्रकट नहीं होता है। ऐसी दशा में साक्ष्य के नितांत अभाव में अभियुक्त द्वारा धारा 324 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता। फलतः युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने फरियादी राकेश को धारदार नाखून से नोचकर स्वेच्छया उपहित कारित की। निष्कर्षतः अभियुक्त योगेन्द्र को धारा 324 भा. दं.सं. के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

10 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)